



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082026-275460
CG-DL-E-14082026-275460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4314]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948

No. 4314]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

का.आ. 4494(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-146 के नवीन सागर लिंक रोड बायपास के कि.मी. 3+130 से कि.मी. 5+060 तथा कि.मी. 7+740 से कि.मी. 8+900 (तहसील जैसीनगर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधि. (राजस्व), जैसीनगर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-146 के नवीन सागर लिंक रोड बायपास के कि.मी. 3+130 से कि.मी. 5+060 तथा कि.मी. 7+740 से कि.मी. 8+900 (तहसील जैसीनगर) तक सड़क निर्माण/चौड़ीकरण हेतु अर्जित की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: सागर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जैसीनगर					
गांव का नाम: मोहारा					
1	118	सरकारी	रास्ता (रास्ता)	0.0134 (हेक्टेयर)	0.0134
2	133	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.0183 (हेक्टेयर)	0.0183
3	135	निजी	सिंचित/व्यपवर्तित (सिंचित/व्यपवर्तित)	0.4112 (हेक्टेयर)	0.4112
4	136	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.3864 (हेक्टेयर)	0.3864
5	140/1	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.1438 (हेक्टेयर)	0.1438
6	140/2	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.1335 (हेक्टेयर)	0.1335
7	141	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.1373 (हेक्टेयर)	0.1373
8	142	सरकारी	सड़क (सड़क)	2.7 (हेक्टेयर)	2.7
9	59	सरकारी	भू जल (भू-जल)	0.031 (हेक्टेयर)	0.031
10	60	सरकारी	चारागाह (चारागाह)	0.0881 (हेक्टेयर)	0.0881
11	63	सरकारी	रास्ता (रास्ता)	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
12	64	सरकारी	आबादी (गाँवठान) (आबादी (गाँवठान))	0.0917 (हेक्टेयर)	0.0917
13	65	सरकारी	चारागाह (चारागाह)	0.1138 (हेक्टेयर)	0.1138
14	66	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.1309 (हेक्टेयर)	0.1309
15	67	निजी	असिंचित (असिंचित)	0.0155 (हेक्टेयर)	0.0155
16	68	निजी	असिंचित (असिंचित)	0.0096 (हेक्टेयर)	0.0096

17	69	निजी	असिंचित (असिंचित)	0.0318 (हेक्टेयर)	0.0318
गांव का नाम: पड़रिया खुर्द					
18	39	सरकारी	भू जल (भू-जल)	0.0092 (हेक्टेयर)	0.0092
19	40	सरकारी	चारागाह (चारागाह)	0.0782 (हेक्टेयर)	0.0782
20	41	सरकारी	रास्ता कच्चा (रास्ता कच्चा)	0.0212 (हेक्टेयर)	0.0212
21	42/1	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.1215 (हेक्टेयर)	0.1215
22	43	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.1273 (हेक्टेयर)	0.1273
23	44	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.0163 (हेक्टेयर)	0.0163
24	47	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.4003 (हेक्टेयर)	0.4003
25	51	सरकारी	सेवा भूमि (सेवा भूमि)	0.5506 (हेक्टेयर)	0.5506
26	52	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.2962 (हेक्टेयर)	0.2962
27	58	निजी	औद्योगिक एवं खनन/सिंचित (औद्योगिक एवं खनन/सिंचित)	0.2719 (हेक्टेयर)	0.2719
28	59	सरकारी	भू जल (भू-जल)	0.0091 (हेक्टेयर)	0.0091
29	71	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.2524 (हेक्टेयर)	0.2524
30	72	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.0225 (हेक्टेयर)	0.0225
31	74	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.2599 (हेक्टेयर)	0.2599
32	75	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.172 (हेक्टेयर)	0.172
33	77	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.0021 (हेक्टेयर)	0.0021
34	79	निजी	सिंचित/व्यपवर्तित (सिंचित/व्यपवर्तित)	0.3789 (हेक्टेयर)	0.3789
35	80	निजी	सिंचित (सिंचित)	0.1793 (हेक्टेयर)	0.1793
36	81	सरकारी	सड़क (सड़क)	6.08 (हेक्टेयर)	6.08
Total					13.7232

[फा. सं. NHAI/PIU/SAG/SLR/B-L/2026/3A2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2026

S.O. 4494(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation **in the stretch of land New sagar link road bypass on National Highway-146 from K.M. 3+130 to K.M. 5+060 and From K.M. 7+740 to K.M. 8+900 (Tehsil Jaisinagar)** in the district of SAGAR in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDO (Revenue), Jaisinagar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling New sagar link road bypass on National Highway-146 from K.M. 3+130 to K.M. 5+060 and From K.M. 7+740 to K.M. 8+900 (Tehsil Jaisinagar) in the district of SAGAR in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: SAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jaisinagar					
Village: Mohara					
1	118	Government	Rasta (Rasta)	0.0134 (Hectare)	0.0134
2	133	Private	Irrigated (Irrigated)	0.0183 (Hectare)	0.0183
3	135	Private	Irrigated/ Diverted (Irrigated/ Diverted)	0.4112 (Hectare)	0.4112
4	136	Private	Irrigated (Irrigated)	0.3864 (Hectare)	0.3864
5	140/1	Private	Irrigated (Irrigated)	0.1438 (Hectare)	0.1438
6	140/2	Private	Irrigated (Irrigated)	0.1335 (Hectare)	0.1335
7	141	Private	Irrigated (Irrigated)	0.1373 (Hectare)	0.1373
8	142	Government	Road (Road)	2.7 (Hectare)	2.7
9	59	Government	Bhu Jal (Bhu Jal)	0.031 (Hectare)	0.031
10	60	Government	Charagah (Charagah)	0.0881 (Hectare)	0.0881

11	63	Government	Rasta (Rasta)	0.018 (Hectare)	0.018
12	64	Government	Aabadi (Aabadi)	0.0917 (Hectare)	0.0917
13	65	Government	Charagah (Charagah)	0.1138 (Hectare)	0.1138
14	66	Private	Irrigated (Irrigated)	0.1309 (Hectare)	0.1309
15	67	Private	Non Irrigated (Non Irrigated)	0.0155 (Hectare)	0.0155
16	68	Private	Non Irrigated (Non Irrigated)	0.0096 (Hectare)	0.0096
17	69	Private	Non Irrigated (Non Irrigated)	0.0318 (Hectare)	0.0318
Village: Padariya Khurd					
18	39	Government	Bhu Jal (Bhu Jal)	0.0092 (Hectare)	0.0092
19	40	Government	Charagah (Charagah)	0.0782 (Hectare)	0.0782
20	41	Government	Rasta/Kaccha (Rasta/Kaccha)	0.0212 (Hectare)	0.0212
21	42/1	Private	Irrigated (Irrigated)	0.1215 (Hectare)	0.1215
22	43	Private	Irrigated (Irrigated)	0.1273 (Hectare)	0.1273
23	44	Private	Irrigated (Irrigated)	0.0163 (Hectare)	0.0163
24	47	Private	Irrigated (Irrigated)	0.4003 (Hectare)	0.4003
25	51	Government	Sewa Bhumi (Sewa Bhumi)	0.5506 (Hectare)	0.5506
26	52	Private	Irrigated (Irrigated)	0.2962 (Hectare)	0.2962
27	58	Private	Industrial and mining / Irrigated (Industrial and mining / Irrigated)	0.2719 (Hectare)	0.2719
28	59	Government	Bhu Jal (Bhu Jal)	0.0091 (Hectare)	0.0091
29	71	Private	Irrigated (Irrigated)	0.2524 (Hectare)	0.2524
30	72	Private	Irrigated (Irrigated)	0.0225 (Hectare)	0.0225
31	74	Private	Irrigated (Irrigated)	0.2599 (Hectare)	0.2599
32	75	Private	Irrigated (Irrigated)	0.172 (Hectare)	0.172
33	77	Private	Irrigated (Irrigated)	0.0021 (Hectare)	0.0021
34	79	Private	Irrigated/ Diverted (Irrigated/ Diverted)	0.3789 (Hectare)	0.3789
35	80	Private	Irrigated (Irrigated)	0.1793 (Hectare)	0.1793
36	81	Government	Road (Road)	6.08 (Hectare)	6.08
Total					13.7232

[F. No. NHAI/PIU/SAG/SLR/B-L/2026/3A2]

SHAIKH AMINKHAN, Director